भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1844

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण

1844. श्री के. ई. प्रकाश:
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:
श्री टी. एम. सेल्वागणपति:
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह कार्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, तमिलनाडु सरकार की सहमति और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की शुरुआत से ही की जा रही पर्यावरण स्वीकृति सहित किसी भी प्रकार की स्वीकृति न दिए जाने और केंद्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया पर विचार न किए जाने संबंधी मांग पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या किसान संगठनों की ओर से इस प्रस्तावित परियोजना के सिंचाई, कृषि और कावेरी बेसिन, विशेषकर कावेरी डेल्टा और तमिलनाडु के अन्य ज़िलों में पानी की उपलब्धता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा कावेरी बेसिन के किसानों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा पानी की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की रुकावट की स्थिति में सिंचाई पर निर्भर किसानों की सहायता किए जाने और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय

के अंतर्गत तमिलनाडु की समुचित हिस्सेदारी की संरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): कर्नाटक में मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय सह पेयजल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया, इसे परियोजना प्राधिकरण को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के निर्णय और मौजूदा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया है।

(ख) से (ङ): कावेरी जल विवाद के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.02.2018 के निर्णय के अनुसार, कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी पर किसी भी प्रकार की संरचना के निर्माण के लिए अन्य तटीय राज्यों, नामतः तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.02.2018 के आदेश में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के वर्ष 2007 के निर्णय के खंड XVIII को उपयुक्त पाया और अपने आदेश में दोहराया कि "इस न्यायाधिकरण का आदेश, किसी राज्य को अपने सीमाक्षेत्र के भीतर जल के उपयोग को विनियमित करने या उस राज्य के सीमाक्षेत्र के भीतर न्यायाधिकरण के आदेश के विपरीत तरीके से जल से प्राप्त लाभ लेने के अधिकार, शक्ति या प्राधिकार को बाधित नहीं करेगा।"

भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार और किसानों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया है, जिनमें प्रस्तावित परियोजना के कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों, जिनमें अन्य जिलों में पेयजल की उपलब्धता भी शामिल है, के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। किसी भी परियोजना के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की, परियोजना के मूल्यांकन के दौरान, लागू प्रक्रिया के अनुसार, उचित रूप से जांच की जाती है।

(च): अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01.06.2018 के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन योजना (सीडब्ल्यूएमएस) को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन किया गया, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2018 के उनके आदेश के माध्यम से संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाया जा सके।
